

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-307

जिसका उत्तर 23 मार्च, 2017 को दिया जाना है।

पन बिजली

*307. श्री सी.एस. पुट्टा राजू:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में विद्युत उत्पादन की मांग और उत्पादन (मेगावाट में) कितना है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार विशेषकर पर्वतीय राज्यों में पन बिजली उत्पादन बढ़ाने पर विचार कर रही है जिससे कि विद्युत की कमी को पूरा किया जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का छोटे और बड़े बाँधों का निर्माण करके पन बिजली उत्पादन में वृद्धि करने के लिए राज्यों को निधि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो बिजली की बढ़ती मांग को किस प्रकार पूरा किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"पन बिजली" के बारे में लोक सभा में दिनांक 23.03.2017 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 307 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) : देश में वर्ष 2016-2017 (अप्रैल 2016-फरवरी 2017) के दौरान मेगावाट (एमडब्ल्यू) में विद्युत की व्यस्ततम मांग, 1,56,934 मेगावाट की पूरी की गई मांग(अर्थात कुल उत्पादन में से सहायक खपत तथा पारेषण हानियों को कम करके) की तुलना में, 1,59,542 मेगावाट थी।

(ख) : जी, हां। देश में जल विद्युत के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, 13 वीं योजना (2017-22) के लिए 13,311.5 मेगावाट की क्षमता वाली कुल 50 स्कीमों को चिन्हित किया गया है, जबकि 14 वीं योजना (2022-27) के लिए 21,150 मेगावाट की क्षमता वाली 26 स्कीमों को चिन्हित किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी राज्यों की जल विद्युत परियोजनाएं शामिल हैं।

(ग) : वर्तमान में, जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए राज्यों को निधियां प्रदान करने की विद्युत मंत्रालय की कोई स्कीम/नीति नहीं है।

(घ) : बिजली की मांग को पूरा करने का उत्तरदायित्व मुख्यतः संबंधित राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों का होता है। तथापि, केन्द्र सरकार केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत संयंत्रों की स्थापना द्वारा तथा इन संयंत्रों से उन्हें विद्युत का आबंटन करते हुए राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों के प्रयासों को बढ़ावा देती है। तथापि, अन्य बातों के साथ-साथ, विद्युत की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं:-

- (i) 12 वीं योजना अवधि (2012-17) के दौरान, परम्परागत स्रोतों से 28 फरवरी, 2017 तक 88,537 मेगावाट के लक्ष्य की तुलना में लगभग 94,689.47 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि हासिल की गई है और 31 जनवरी, 2017 तक नवीकरणीय स्रोतों से 30,000 मेगावाट के लक्ष्य की तुलना में लगभग 22,736 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि हासिल की गई है।
- (ii) विद्युत संयंत्रों को घरेलू कोयले की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की गई है।

- (iii) 12 वीं योजना अवधि (2012-17) के दौरान 28 फरवरी 2017 तक, 1,07,440 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइनों की तुलना में 1,07,653 सर्किट किलोमीटर तथा 2,82,750 एमवीए के ट्रांसफार्मेशन क्षमता के लक्ष्य की तुलना में 3,10,943 एमवीए पूरी कर ली गई है।
- (iv) भारत सरकार ने राज्यों के साथ भागीदारी में सभी के लिए 24X7 (पीएफए) विद्युत उपलब्ध कराने के लिए राज्य विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार करने के लिए पहल शुरू की है। केवल एक (1) को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों के लिए रोडमैप को अंतिम रूप दिया गया है और यह कार्यान्वयनाधीन है।
- (v) भारत सरकार द्वारा पर्याप्त एवं विश्वसनीय आपूर्ति प्रदान करने तथा लाइन की हानियों को कम करने के लिए उप पारेषण एवं वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण तथा कृषि फीडरों के पृथक्करण के लिए द्वारा दो स्कीमें, अर्थात् दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) तथा एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) शुरू की गई थी।
- (vi) भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा दक्षता तथा अन्य प्रबंधन मांग पक्ष उपायों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं।
- (vii) केन्द्र सरकार ने बिजली वितरण कंपनियों के प्रचालन एवं वित्तीय आमूलचूल परिवर्तन के लिए उज्ज्वल डिस्काम एश्योरेस योजना (उदय) अधिसूचित की। अब तक 23 राज्यों/ संघ राज्यों क्षेत्रों ने उदय के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- (viii) भारत सरकार ने उत्पादन एवं पारेषण परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने को सुगम बनाने के लिए पर्यावरणीय एवं वन स्वीकृतियों से संबंधित मामलों को शीघ्रता से समाधान करने के लिए कदम उठाए हैं।
- (ix) भारत सरकार स्ट्रैण्ड गैस आधारित उत्पादन के प्रचालनीकरण के लिए विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) से भी सहायता भी मुहैया करा रही है ।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-320

जिसका उत्तर 23 मार्च, 2017 को दिया जाना है ।

पुराने विद्युत संयंत्रों को बदलना

*320. श्री हुकुम सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) उन ताप विद्युत केन्द्रों का ब्यौरा क्या है जिनका हाल ही में नवीकरण तथा आधुनिकीकरण हुआ है तथा किन-किन ताप विद्युत केन्द्रों में यह प्रक्रिया चल रही है;
- (ख) इसके परिणामस्वरूप क्या-क्या लाभ हुए हैं;
- (ग) क्या सरकार पच्चीस वर्ष से अधिक पुराने विद्युत संयंत्रों, विशेषकर एनटीपीसी की विद्युत इकाइयों के नवीकरण पर अब और अधिक व्यय करने की इच्छुक नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार ने एनटीपीसी से पच्चीस वर्ष से अधिक पुरानी 11,000 मेगावाट संयंत्र क्षमता को बदलने का निदेश दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) क्या सरकार ने विद्युत कंपनियों से पुराने संयंत्रों को बदलकर उनके स्थान पर आधुनिक प्रौद्योगिकीयुक्त नए संयंत्र स्थापित करने को कहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर कंपनियों द्वारा अब तक कंपनी-वार क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"पुराने विद्युत संयंत्रों को बदलना" के बारे में लोक सभा में दिनांक 23.03.2017 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 320 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) : जिन ताप विद्युत यूनिटों का 12वीं योजना-अवधि के दौरान जीवन विस्तार (एलई) तथा नवीकरण एवं आधुनिकीकरण (आरएंडएम) हुआ है, उनका ब्यौरा क्रमशः अनुबंध-1क तथा अनुबंध-1ख में दिया गया है जबकि जिन ताप उत्पादन यूनिटों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण/जीवन विस्तार किया जा रहा है, उनका ब्यौरा अनुबंध-1I में दिया गया है।

(ख) : ताप उत्पादन यूनिटों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम का कार्यान्वयन उत्पादन, विश्वसनीयता, उपलब्धता, रख-रखाव संबंधी आवश्यकताओं में कमी तथा पर्यावरणीय उत्सर्जन, रख-रखाव की सुगमता तथा अदक्षताओं को कम करने की दृष्टि से उनके कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए चलाया जाता है।

ताप उत्पादन यूनिटों के जीवन विस्तार (एलई) कार्यक्रम में उनके डिजाइन किए गए आर्थिक जीवन काल के अतिरिक्त सामान्यतः 15 से 20 वर्षों के जीवन विस्तार वाली यूनिटों की निर्धारित क्षमता को बहाल करने की परिकल्पना है।

(ग) : नवीकरण एवं आधुनिकीकरण/जीवन विस्तार-कार्य, एनटीपीसी सहित संबंधित राज्य और केंद्रीय विद्युत यूटिलिटियों द्वारा उनकी माँग तथा तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यताओं के आधार पर किए जाते हैं।

(घ) : जी, नहीं। तथापि, एनटीपीसी लिमिटेड ने 25 वर्ष से अधिक पुरानी कुछ यूनिटें, प्रौद्योगिक-आर्थिक व्यवहार्यता पर आधारित उच्च क्षमता की नई सुपरक्रिटिकल यूनिटों से बदलने के लिए अभिचिन्हित की हैं।

(ङ) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने विद्युत यूटिलिटियों के परामर्श से 5228 मेगावाट की कुल क्षमता के पुराने ताप विद्युत संयंत्रों को चिह्नित किया था जिन्हें कुल 10180 मेगावाट की आधुनिक प्रौद्योगिकियों से युक्त नए विद्युत संयंत्रों से प्रतिस्थापित किया जा सके। इन विद्युत संयंत्रों तथा कंपनियों द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा अनुबंध-1II में दिया गया है।

"पुराने विद्युत संयंत्रों को बदलना" के बारे में लोक सभा में दिनांक 23.03.2017 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 320 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध।

12वीं योजना के दौरान उन ताप विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा जहां जीवन विस्तार (एलई) कार्य पूरा कर लिया गया है

क्रम सं.	टीपीएस का नाम	यूनिट सं.	क्षमता मेगावाट	यूटिलिटी	राज्य/केंद्रीय क्षेत्र	एलई कार्यों के बाद सिंक्रोनाइजेशन की तिथि
1.	भटिंडा	3	110	पीएसपीसीएल	राज्य क्षेत्र	05.08.2012
2.	कवास	जीटी-1ए	106	एनटीपीसी	केंद्रीय क्षेत्र	21.01.2013
3.	परीछा	2	110	यूपीआरवीयूएनएल	राज्य क्षेत्र	05.05.2013
4.	मुजफ्फरपुर	1	110	केबीयूएनएल	बीएसपीजीसीएल और एनटीपीसी का संयुक्त उद्यम	05.07.2013
5.	कवास	जीटी-1बी	106	एनटीपीसी	केंद्रीय क्षेत्र	28.08. 2013
6.	गांधार	जीटी-3	131	एनटीपीसी	केंद्रीय क्षेत्र	29.09. 2013
7.	कवास	जीटी-2बी	106	एनटीपीसी	केंद्रीय क्षेत्र	05.03.2014
8.	भटिंडा	4	110	पीएसपीसीएल	राज्य क्षेत्र	10.07. 2014
9.	मुजफ्फरपुर	2	110	केबीयूएनएल	बीएसपीजीसीएल और एनटीपीसी का संयुक्त उद्यम	30.09.2014
10.	औरेया	जीटी-1	111.19	एनटीपीसी	केंद्रीय क्षेत्र	22.06. 2014
11.	गांधार	जीटी-1	131	एनटीपीसी	केंद्रीय क्षेत्र	06.07.2014
12.	कवास	जीटी-2ए	106	एनटीपीसी	केंद्रीय क्षेत्र	22.08.2014
13.	औरेया	जीटी-2	111.19	एनटीपीसी	केंद्रीय क्षेत्र	28.10.2014
14.	औरेया	जीटी-3	111.19	एनटीपीसी	केंद्रीय क्षेत्र	25.12.2014
15.	औरेया	जीटी-4	111.19	एनटीपीसी	केंद्रीय क्षेत्र	02.03.2014
16.	हरदुआगंज	7	110	यूपीआरवीयूएनएल	राज्य क्षेत्र	01.05. 2015
17.	बंदेल	5	210	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	राज्य क्षेत्र	21.09.2015
18.	गांधार	जीटी-2	131	एनटीपीसी	केंद्रीय क्षेत्र	15.04.2015
19.	ओबरा	10	200	यूपीआरवीयूएनएल	राज्य क्षेत्र	08.04.2016
20.	बरौनी	7	110	बीएसपीजीसीएल	राज्य क्षेत्र	03.08.2016
21.	ओबरा	11	200	यूपीआरवीयूएनएल	राज्य क्षेत्र	31.12.2016

उप-जोड़ (राज्य) - 10 यूनिटें 1380 मेगावाट
उप-जोड़ (केंद्रीय) - 11 यूनिटें 1261.76 मेगावाट
कुल (एलई) - 21 यूनिटें 2641.76 मेगावाट

"पुराने विद्युत संयंत्रों को बदलना" के बारे में लोक सभा में दिनांक 23.03.2017 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 320 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध।

12वीं योजना के दौरान उन ताप विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा जहां आरएंडएम कार्य पूरा कर लिया गया है

31.12.2016 की स्थिति के अनुसार

क्रम सं.	टीपीएस का नाम	यूनिट सं.	क्षमता मेगावाट	यूटिलिटी	राज्य/केंद्रीय क्षेत्र	आरएंडएम कार्यों के पूर्ति की तिथि
1.	डीपीएल	6	110	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	राज्य क्षेत्र	07.05.2012
2.	पतरातु	10	110	जेएसईबी	राज्य क्षेत्र	24.05.2012
3.	अनपरा'ए	1	210	यूपीआरवीयूएनएल	राज्य क्षेत्र	21.03.2013
4.	अनपरा'ए	2	210	यूपीआरवीयूएनएल	राज्य क्षेत्र	21.03.2013
5.	अनपरा'ए	3	210	यूपीआरवीयूएनएल	राज्य क्षेत्र	21.03.2013
6.	टांडा	2	110	एनटीपीसी	केंद्रीय क्षेत्र	15.09.2012
7.	कथलगुड़ी	जीटी-3	33.5	एनटीपीसी	केंद्रीय क्षेत्र	31.03.2014
8.	कथलगुड़ी	जीटी-4	33.5	एनटीपीसी	केंद्रीय क्षेत्र	31.03.2014
9.	कथलगुड़ी	जीटी-5	33.5	एनटीपीसी	केंद्रीय क्षेत्र	31.03.2014
10.	सिम्हाद्री	1	500	एनटीपीसी	केंद्रीय	31.03.2016
11.	सिम्हाद्री	2	500	एनटीपीसी	केंद्रीय	31.03.2016

उप-जोड़ (राज्य) - 5 यूनिटें 850 मेगावाट
उप-जोड़ (केंद्रीय) - 6 यूनिटें 1210.5 मेगावाट
कुल (आरएंडएम) - 11 यूनिटें 2060.50 मेगावाट

"पुराने विद्युत संयंत्रों को बदलना" के बारे में लोक सभा में दिनांक 23.03.2017 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 320 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध।

आरएंडएम/एलई के अधीन ताप विद्युत यूनिटें

राज्य क्षेत्र (एलई कार्य)

क्रम सं.	राज्य	स्टेशन का नाम	यूनिट सं.	चालू होने का वर्ष	क्षमता (मेगावाट)
1	उत्तर प्रदेश	ओबरा	12	1981	200
2	महाराष्ट्र	कोराडी	6	1982	210
3	बिहार	बरौनी	6	1983	110
राज्य क्षेत्र (एलएंडई) उप-जोड़			3		520

राज्य क्षेत्र (आरएंडएम कार्यक्रम)

क्रम सं.	राज्य	स्टेशन का नाम	यूनिट सं.	चालू होने का वर्ष	क्षमता (मेगावाट)
1	उत्तर प्रदेश	ओबरा	7	1974	100
2	गुजरात	उकई	4	1979	200
3	राजस्थान	कोटा	1	1983	110
4	राजस्थान	कोटा	2	1983	110
5	झारखंड	पतरातु	9	1984	110
राज्य क्षेत्र (आरएंडएम) उप-जोड़			5		630
राज्य क्षेत्र (एलई+आरएंडएम) कुल			8		1150

केंद्रीय क्षेत्र (आरएंडएम)

क्रम सं.	यूटिलिटी	स्टेशन का नाम	यूनिट सं.	चालू होने का वर्ष	क्षमता (मेगावाट)
1	एनटीपीसी	सिंगरौली एसटीपीएस	6	1986	500
2	एनटीपीसी	सिंगरौली एसटीपीएस	7	1987	500
3	एनटीपीसी	कोरबा एसटीपीएस	4	1987	500
4	एनटीपीसी	कोरबा एसटीपीएस	5	1988	500
5	एनटीपीसी	कोरबा एसटीपीएस	6	1988	500
6	एनटीपीसी	रामागुंडम एसटीपीएस	4	1988	500
7	एनटीपीसी	रामागुंडम एसटीपीएस	5	1989	500
8	एनटीपीसी	रामागुंडम एसटीपीएस	6	1989	500
9	एनटीपीसी	फरक्का स्टेज-I	4	1992	500

10	एनटीपीसी	फरक्का स्टेज-II	5	1994	500
11	एनटीपीसी	ऊंचाहार	1	1988	210
12	एनटीपीसी	ऊंचाहार	2	1989	210
13	एनटीपीसी	ऊंचाहार	3	1999	210
14	एनटीपीसी	ऊंचाहार	4	1999	210
15	एनटीपीसी	विंध्याचल	1	1987	210
16	एनटीपीसी	विंध्याचल	2	1988	210
17	एनटीपीसी	विंध्याचल	3	1989	210
18	एनटीपीसी	विंध्याचल	4	1989	210
19	एनटीपीसी	विंध्याचल	5	1990	210
20	एनटीपीसी	विंध्याचल	6	1991	210
21	एनटीपीसी	विंध्याचल	7	1999	500
22	एनटीपीसी	विंध्याचल	8	2000	500
23	एनटीपीसी	तालचर एसटीपीएस	1	1995	500
24	एनटीपीसी	तालचर एसटीपीएस	2	1996	500
25	एनटीपीसी	दादरी	1	1991	210
26	एनटीपीसी	दादरी	2	1992	210
27	एनटीपीसी	दादरी	3	1993	210
28	एनटीपीसी	दादरी	4	1994	210
29	एनटीपीसी	रिहंद एसटीपीएस फेज-III	1	1988	500
30	एनटीपीसी	रिहंद एसटीपीएस फेज-III	2	1989	500
31	एनटीपीसी	कहलगांव	1	1992	210
32	एनटीपीसी	कहलगांव	2	1994	210
33	एनटीपीसी	कहलगांव	3	1995	210
34	एनटीपीसी	कहलगांव	4	1996	210
35	एनटीपीसी	दादरी जीटी	जीटी-1	1991	131
36	एनटीपीसी	दादरी जीटी	जीटी-2	1991	131
37	एनटीपीसी	दादरी जीटी	जीटी-3	1991	131
38	एनटीपीसी	दादरी जीटी	जीटी-4	1991	131
उप जोड़ सी.एस. (आरएंडएम)			38		12304

"पुराने विद्युत संयंत्रों को बदलना" के बारे में लोक सभा में दिनांक 23.03.2017 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 320 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (ड) में उल्लिखित अनुबंध।

पुरानी सुपर क्रिटिकल यूनिटों के स्थान पर स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित नए ताप विद्युत संयंत्रों का ब्यौरे

क. राज्य क्षेत्र परियोजनाएं:

राज्य	रिटायर्ड/रिटायरमेंट के लिए प्रस्तावित संयंत्र का नाम	विकासकर्ता का नाम	रिटायर्ड/रिटायरमेंट के लिए प्रस्तावित संयंत्र की क्षमता (मेगावाट)	नए प्रस्तावित संयंत्र की क्षमता (मेगावाट)	विकासकर्ता द्वारा की गई कार्रवाई
हरियाणा	पानीपत टीपीएस	एचपीजीसीएल	440	800	800 मेगावाट यूनिट के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) हेतु टीओआर प्राप्त किया गया।
उत्तर प्रदेश	हरदुआगंज टीपीएस	यूपीआरवीयूएनएल	290	660	660 मेगावाट यूनिट के लिए आदेश सितंबर, 2015 में दिया गया।
उत्तर प्रदेश	पंकी टीपीएस	यूपीआरवीयूएनएल	210	660	पर्यावरण स्वीकृति अभी प्राप्त की जानी है। 660 मेगावाट यूनिट के लिए एनआईटी जारी की गई थी।
उत्तर प्रदेश	ओबरा टीपीएस	यूपीआरवीयूएनएल	438	2x660	प्रस्ताव विचाराधीन है।
मध्य प्रदेश	अमरकंटक टीपीएस	एमपीपीजीसीएल	280	660	प्रस्ताव विचाराधीन है।
मध्य प्रदेश	सतपुड़ा टीपीएस	एमपीपीजीसीएल	312.5	660	प्रस्ताव विचाराधीन है।
महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी	महाजैक	250	660	भूमि उपलब्ध है, जल और ईंधन की व्यवस्था की गई, पीपीए करार उपलब्ध है। विमानन और पर्यावरण मंत्रालय की स्वीकृति की प्रक्रिया प्रगति पर है।
महाराष्ट्र	भुसावल यूनिट-2 और पारस यूनिट-2	महाजैको	62.5 62.5	660	660 मेगावाट यूनिट-6 (भुसावल) के लिए पर्यावरण स्वीकृति नवंबर, 2012 में प्राप्त की गई। ईपीसी आधार पर आईसीबी निविदा आमंत्रित की गई थी और बोली मूल्यांकन रिपोर्ट अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई थी।
गुजरात	उकई टीपीएस	जीएसईसीएल	240	660	सुपर क्रिटिकल यूनिटों की स्थापना प्रस्ताव के चरण में है।
तेलंगाना	कोथागुडेम टीपीएस स्टेज-I से IV और रामागुंडम-बी टीपीएस	टीएसपीजीसीएल	782.5	800	टीएसजैको ने यूनिट को बदलने के लिए कार्य शुरू किए हैं। पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त की गई। आदेश दे दिया गया है। शून्य तारीख दिनांक 01.01.2015 को शुरू हुई थी।
तमिलनाडु	एन्नोर टीपीएस	टांजैडको	450	660	टैजैडको ने यूनिट बदलने के लिए प्रस्ताव किया है। टीओआर प्राप्त की

					गई।
पश्चिम बंगाल	डीपीएल टीपीएस	डीपीएल	280	660	सुपर क्रिटिकल यूनिटों की स्थापना प्रस्ताव के चरण में है।
उप-जोड़ (क)			4098	8200	

ख. केंद्रीय क्षेत्र परियोजनाएं:

राज्य	रिटायर्ड/रिटायरमेंट के लिए प्रस्तावित संयंत्र का नाम	विकासकर्ता का नाम	रिटायर्ड/रिटायरमेंट के लिए प्रस्तावित संयंत्र की क्षमता (मेगावाट)	नए प्रस्तावित संयंत्रों की क्षमता (मेगावाट)	विकासकर्ता द्वारा की गई कार्रवाई
पश्चिम बंगाल	डीवीसी दुर्गापुर	डीवीसी	350	660	सुपर क्रिटिकल यूनिटों की स्थापना प्रस्ताव के चरण में है।
झारखंड	डीवीसी चंद्रपुरा	डीवीसी	780	2x660	सुपर क्रिटिकल यूनिटों की स्थापना प्रस्ताव के चरण में है।
उप-जोड़ (ख)			1130	1980	
कुल (क+ख)			5228	10180	

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3476

जिसका उत्तर 23 मार्च, 2017 को दिया जाना है।

असम में विद्युत परियोजनाएं

3476. श्री बदरुद्दीन अज़मल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को असम के विद्युत संकट को समाप्त करने के लिए और विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव/मांग प्राप्त हुई है;
- (ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;
- (ग) क्या उत्तर-पूर्वी राज्यों विशेषकर असम को आवश्यक विद्युत प्रदान करने के लिए कोई निधि आबंटित की गई है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : विद्युत अधिनियम, 2003 के लागू होने के बाद विद्युत के उत्पादन को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है तथा ताप विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति (टीईसी) अपेक्षित नहीं है। इस प्रकार, असम राज्य सहित देश में नई ताप विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए प्रस्ताव केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) में प्राप्त नहीं हो रहे हैं।

तथापि, 1000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली जल विद्युत परियोजनाओं के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) से तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति (टीईसी) अपेक्षित होती है। वर्तमान में, असम से कोई जल विद्युत परियोजना केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की सहमति के लिए विचाराधीन नहीं है।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार असम राज्य में निम्नलिखित विद्युत परियोजना स्थापित की जानी प्रस्तावित है:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	ईंधन	क्षमता (मेगावाट)
1	मार्घेरिटा टीपीपी	एपीजीसीएल	कोयला	660
2	गोलाघाट टीपीपी	एपीजीसीएल	गैस	12
3	लकवा रिप्लेसमेंट टीपीपी	एपीजीसीएल	गैस	70
4	कछार टीपीपी	एपीजीसीएल	गैस	30
5	अंगुरी टीपीपी	एपीजीसीएल	गैस	100
6	लोअर कोपिली*	एपीजीसीएल	हाइड्रो	120

* केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा 24.05.2016 को सहमति प्रदान की गई।

(ग) से (ङ) : विद्युत मंत्रालय (एमओपी) की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्य को जारी निधियों का ब्यौरा इस प्रकार है:

क्र.सं.	राज्य	आईपीडीएस* (2015-16 से 2016-17)	डीडीयूजीजेवाई** (2016-17 30.11.2016 तक)
1	अरुणाचल प्रदेश	12.83	49.17
2	असम	49.76	111.20
3	मणिपुर	31.95	0.00
4	मेघालय	0.00	0.00
5	मिजोरम	4.20	0.96
6	नागालैंड	3.75	7.17
7	सिक्किम	6.32	0.00
8	त्रिपुरा	0.00	10.13
कुल पूर्वोत्तर		108.81	178.63

* एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस)

** दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)

इसके अतिरिक्त, 2014-15 से 2016-17 के दौरान असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा में पूर्वोत्तर क्षेत्र विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना (एनईआरपीएसआईपी) कार्यान्वित करने के लिए 2217.84 करोड़ रुपये तथा अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम में पारेषण एवं वितरण प्रणाली की व्यापक स्कीम कार्यान्वित करने के लिए 2247.92 करोड़ रुपये अनुमोदित किए गए हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3477

जिसका उत्तर 23 मार्च, 2017 को दिया जाना है।

सभी के लिए विद्युत

3477. श्री कलिकेश एन. सिंह देव:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सभी राज्यों को चौबीसों घंटे और सातों दिन विद्युत प्रदान करने के लिए राज्य विशेष कार्य योजना तैयार कर ली गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या राज्य की योजना में वर्तमान और भविष्य में प्रत्येक राज्य की विद्युत आवश्यकताओं को भी शामिल किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या राज्य विशेष योजना में अविद्युतीकृत आवासों को विद्युत प्रदान करने के उपायों को भी शामिल किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : एक (उत्तरप्रदेश) को छोड़कर सभी 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए रोडमैप पर केन्द्र और राज्यों के बीच सयुंक्त रूप से सहमति हो गई है और इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है।

(ख) और (ग) : राज्य विशिष्ट योजनाओं में सभी के लिए चौबीसों घंटे विद्युत के लिए विचार के साथ वर्तमान और भविष्य की विद्युत की मांग को ध्यान में रखा गया है। सभी राज्यों के लिए वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए ऊर्जा मांग क्रमशः 1232.117 बिलियन यूनिट (बीयू), 1346.696 बीयू और 1473.451 बीयू है।

राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा गैर-विद्युतीकृत घरों को विद्युत उपलब्ध कराने के लिए किए गए उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ ऊर्जा और उत्पादन क्षमता के लिए पर्याप्त आकलन और व्यस्ततम मांग अपेक्षा, पारेषण प्रणाली (अंतर्राज्यीय और अंतः राज्य दोनों) और वितरण प्रणाली शामिल हैं। सभी की जरूरतों के लिए चौबीसों घंटे विद्युत को पूरा करने के लिए अपेक्षित सूचना का कार्यान्वयन करने के लिए अवसंरचना और वित्तीय आवश्यकताओं का मूल्यांकन भी किया गया है। फीडर पृथक्करण सहित वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण और संवर्धन के लिए दीन दयाल ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क, वितरण ट्रांसफार्मेशन/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग के लिए समेकित विद्युत विकास प्रणाली (आईपीडीएस) जैसी विभिन्न योजनाओं और केन्द्रीय और राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं के माध्यम से इसे पूरा करने के लिए रोडमैप तैयार किया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3479
जिसका उत्तर 23 मार्च, 2017 को दिया जाना है।

पर्यावरणीय मंजूरी

3479. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रनः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल में अथीरापल्ली जल विद्युत परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 18.07.2007 को केरल के त्रिसूर जिले में अथीरापल्ली जल विद्युत परियोजना (163 मेगावाट क्षमता) के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति दे दी है। दिनांक 09.10.2015 को पर्यावरणीय स्वीकृति 18.07.2017 तक की अवधि के लिए बढ़ा दी गई है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3480

जिसका उत्तर 23 मार्च, 2017 को दिया जाना है ।

उदय योजना में संशोधन

3480. एडवोकेट जोएस जॉर्ज:

श्री एम.बी. राजेश:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या किसी राज्य सरकार ने उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (यूडीएवाई) संबंधी शर्तों में परिवर्तन की मांग की है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार का उदय योजना में विभिन्न राज्यों में विभिन्न स्थितियों में और उत्तरदायी बनाने के लिए कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या सरकार का राज्य सरकारों की चिंताओं का समाधान करने के लिए कदम उठाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) बैंकों/वित्तीय संस्थानों (एफआई) तथा राज्य सरकारों सहित पणधारकों से व्यापक परामर्श के पश्चात तैयार और शुरू की गई है यह योजना राज्यों के शामिल होने के लिए वैकल्पिक है। योजना में विभिन्न राज्यों की मौजूदा परिवर्तनीय परिस्थितियों को ध्यान में रखा गया है। राज्य/डिस्कॉम अपने टर्न अराउंड को योग्य बनाते हैं और भारत सरकार योजना की रूपरेखा के भीतर मामला दर मामला आधार पर उदय योजना के अंतर्गत समझौता ज्ञापन (एमओयू) को अंतिम रूप देते समय योजना की राज्य विशिष्ट कठिनाइयों/दिक्कतों का समाधान करने से राज्यों को सहयोग करती है ताकि वितरण यूटिलिटियों के संधारणीय और वित्तीय टर्नअराउण्ड का उद्देश्य समाविष्ट न हो। सरकार ने योजना में और अधिक राज्यों को शामिल करने के लिए योजना के प्रावधानों को संशोधित किया है और इसकी समय सीमा 31.03.2017 तक पहले से ही बढ़ा दी है।

उदय में अब 23 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और उनकी वितरण यूटिलिटियां शामिल हो गई हैं। इस प्रकार अधिकांश राज्य पहले से ही योजना के प्रावधान स्वीकार कर चुके हैं और उदय के अंतर्गत एमओयू पर हस्ताक्षर कर चुके हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3493

जिसका उत्तर 23 मार्च, 2017 को दिया जाना है।

दूरवर्ती गांवों का विद्युतीकरण

3493. श्री बी.वी. नाईक:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या कर्नाटक में हजारों ग्राम सभाओं के उप-ग्रामों में धनराशि की कमी के कारण विद्युतीकरण नहीं किया जा रहा है;
- (ख) यदि हां, गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कर्नाटक के दूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है और योजनाओं के नाम क्या हैं;
- (ग) क्या राज्य की ग्राम सभाओं में उप-ग्रामों के विद्युतीकरण के लिए मंत्रालय द्वारा अतिरिक्त धनराशि प्रदान की जाएगी; और
- (घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : भारत सरकार ने कर्नाटक के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के ग्रामीण विद्युतीकरण (आरई) घटक के अंतर्गत 283.51 करोड़ रुपए की लागत से आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांवों का गहन विद्युतीकरण स्वीकृत किया है। साथ ही 264.39 करोड़ की प्रणाली सुदृढीकरण/संवर्धन की 31 नई परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिसमें उप-गांवों का विद्युतीकरण शामिल है। योजना के अंतर्गत, भारत सरकार ने कर्नाटक की विभिन्न ग्रामीण विद्युतीकरण की नई परियोजनाओं के कार्यों के लिए 1755.13 करोड़ रुपए का अनुमोदन किया है।

(ख) : पूर्व किस्त (तों) में राशि के उपयोग के सूचित करने और अन्य शर्तों के पूरा होने के आधार पर निधियां स्वीकृत परियोजनाओं के लिए जारी की जाती हैं। कर्नाटक के दूरस्थ क्षेत्रों के विद्युतीकरण सहित विभिन्न कार्यों के लिए योजना के अंतर्गत पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान 110.03 करोड़ रुपए अनुदान जारी किया गया है।

(ग) और (घ) : वर्तमान में डीडीयूजेवाई के अंतर्गत विद्युतीकरण के लिए अतिरिक्त निधियों की मांग का कर्नाटक सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3495
जिसका उत्तर 23 मार्च, 2017 को दिया जाना है।

विद्युत वितरण कंपनियों को कुल हानि

3495. श्री राम चरित्र निषाद:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2016 की तुलना में वर्ष 2019 के दौरान उज्ज्वल विद्युत वितरण आश्वासन योजना (यूडीएवाई) से जुड़ी वितरण कंपनियों को कितनी अनुमानित यूनिट की हानि हुई है;

(ख) क्या किसी रेटिंग एजेंसी ने यह सुझाव दिया है कि एटी एण्ड सी हानियों में अपेक्षा से भी अधिक कमी और प्रशुल्क में बढ़ोत्तरी के कारण विद्युत वितरण कंपनियों की कुल हानि 28 पैसे प्रति यूनिट रह जाएगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी हाँ, उज्ज्वल डिस्काम एश्योरेंस योजना (उदय) के अन्तर्गत भागीदार राज्यों/डिस्कामों ने वर्ष 2019 अंत तक आपूर्ति की औसत लागत (एसीएस) में कमी करने तथा औसत राजस्व वसूली (एआरआर) अंतर को शून्य करने की वचनबद्धता की है।

(ख) और (ग) : उदय में सभी भागीदार राज्यों/डिस्कामों के लिए फीडर मीटरिंग और निगरानी, ऊर्जा लेखा परीक्षाओं, स्मार्ट मीटरिंग और कोयले से संबंधित मामलों सहित दक्षता सुधारों पर की गई मध्यस्थताओं के विशिष्ट रोडमैप पर बल दिया गया है।

कई विश्लेषकों और रेटिंग एजेंसियों ने उदय के विविध पहलुओं के संबंध में अपनी राय व्यक्त की है। तथापि, अब तक के आरंभिक परिणाम उत्साहजनक रहे हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3501
जिसका उत्तर 23 मार्च, 2017 को दिया जाना है।

क्षमता उपयोग

3501. श्रीमती रक्षाताई खाडसे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या पूर्व वर्ष की 62.4 प्रतिशत की तुलना में अप्रैल से सितम्बर, 2016 के छह महीनों के दौरान अखिल भारतीय आधार पर ताप विद्युत स्टेशनों का औसत क्षमता उपयोग 59.2 प्रतिशत रहा है;
- (ख) क्या सरकार ने गिरावट के कारकों का विश्लेषण किया है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या ताप विद्युत स्टेशनों के औसत क्षमता उपयोग के सुधार हेतु, कोई उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं, जो लगातार गिर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी, हाँ।

(ख) और (ग) : जी, हाँ। ताप विद्युत संयंत्रों के क्षमता उपयोग में कमी को प्रभावित करने वाले कारकों में अन्य बातों के साथ-साथ नवीकरणीय ऊर्जा के व्यापक विस्तार, दक्षता उपायों के कारण ऊर्जा संरक्षण तथा गैस आधारित ताप विद्युत स्टेशनों के लिए गैस की कम उपलब्धता सहित उत्पादन क्षमता में तीव्र वृद्धि शामिल है।

(घ) : विद्युत उत्पादन क्षमताओं के पूर्ण क्षमता उपयोग के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

- i. देश में स्ट्रैंड गैस आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता के उपयोग को पुनर्जीवित करने तथा उसमें सुधार करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के लिए गैस आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता के उपयोग हेतु विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) की सहायता

से एक योजना संस्वीकृति की है। योजना में स्ट्रैंडेड गैस आधारित संयंत्रों तथा रिवर्स ई-बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित घरेलू गैस प्राप्त करने वाले संयंत्रों के लिए आयातित पुनर्गैसीकृत तरलीकृत प्राकृतिक गैस (आरएलएनजी) की आपूर्ति की परिकल्पना की गई है।

- ii. भारत सरकार द्वारा राज्य डिस्कॉमों की प्रचालनात्मक तथा वित्तीय दक्षता में सुधार करने के उद्देश्य से जिससे वे उत्पादकों से अधिक विद्युत खरीदने के लिए सक्षम बनेंगे तथा जिससे उनके संयंत्र भार कारक (पीएलएफ) में वृद्धि होगी, विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) के वित्तीय टर्न अराउंड एवं प्रचालनात्मक सुधार के लिए योजना उदय (उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना) की योजना अनुमोदित की गई है।
- iii. पर्याप्त एवं विश्वसनीय आपूर्ति प्रदान करने तथा लाइन हानियों को कम करने के लिए उप-पारेषण एवं वितरण नेटवर्कों के सुदृढीकरण के लिए तथा कृषि फीडरों के पृथक्करण के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजन (डीडीयूजीजेवाई) तथा एकीकृत विद्युत विकास प्रणाली (आईपीडीएस) के अंतर्गत कार्यान्वयन।
- iv. राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से की गई पहल "सभी के लिए 24X7 घंटे विद्युत" से विद्युत की पहुँच बढ़ेगी तथा तदनुसार विद्युत की मांग बढ़ेगी जिससे विद्युत उत्पादन के उपयोग में वृद्धि होगी। 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में से 35 के लिए योजना पहले ही तैयार कर ली गई है तथा कार्यान्वयनाधीन है।
- v. पुरानी एवं अदक्ष यूनिटों को बंद करना। 12वीं योजना अवधि के दौरान सितंबर, 2016 तक कुल 3000 मेगावाट की अदक्ष ताप उत्पादन क्षमता बंद कर दी गई है। इससे अधिक दक्ष संयंत्रों का बेहतर उपयोग भी होगा।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3504

जिसका उत्तर 23 मार्च, 2017 को दिया जाना है।

बिहार में विद्युत परियोजनाएं

3504. श्री रामा किशोर सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र और राज्यों विशेषतः बिहार के मध्य नई और लंबित विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी देने और बकाया राशि का भुगतान करने हेतु कोई बैठक की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे;

(ग) क्या राज्यों विशेषतः बिहार में विद्युत संयंत्रों की स्थापना, मेगा विद्युत परियोजनाओं, कोल लिंकेज, विद्युत संयंत्रों में हिस्सा, सुपर ग्रिडों की स्थापना, पुराने संयंत्रों का पुनरुद्धार आदि के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस पर क्या कदम उठाए गए हैं और राज्य-वार कितनी निधियां आबंटित की गई हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : बिहार में 130 मेगावाट की डगमारा जल विद्युत परियोजना से संबंधित एक बैठक दिनांक 20.03.2013 को राज्यों और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के बीच आयोजित हुई थी। तथापि, अधिक लागत अनुमानों तथा प्रशुल्क के कारण सहमति नहीं की जा सकी थी। बिहार की जल विद्युत परियोजना के लिए कोई अन्य प्रस्ताव लंबित नहीं है।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों पर केंद्रीय उत्पादन कंपनियों की लंबित बकाया राशि के मुद्दे को विद्युत मंत्रालय की विभिन्न बैठकों अर्थात् मासिक समीक्षा आयोजना तथा निगरानी बैठकों और विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में समय-समय पर उठाया जाता है।

(ग) और (घ) : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 7 के अनुसार कोई उत्पादन कंपनी, यदि वह ग्रिड की संबद्धता से संबंधित तकनीकी मानकों का अनुपालन करती हो तो, इस अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस/अनुमति प्राप्त किए बिना उत्पादन स्टेशन की स्थापना, प्रचालन एवं अनुरक्षण कर सकती है। तदनुसार ताप विद्युत परियोजना (टीपीपी) स्थापित करने के लिए सरकार की स्वीकृति अपेक्षित नहीं है। हालांकि, जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जानी अपेक्षित होती हैं। विभिन्न राज्य सरकारें/राज्य सरकारों के साथ संयुक्त उद्यम द्वारा बिहार सहित देश में स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित ताप विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

बिहार सहित 6414 मेगावाट की औसत संस्थापित क्षमता वाली 9 जल विद्युत परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए)/केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी)/केंद्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान केंद्र (सीएसएमआरएस) के विभिन्न मूल्यांकन समूहों के पास हैं। ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

बिहार में टीपीपी सहित ताप विद्युत संयंत्रों के लिए ब्रिज लिंकेज के अनुमोदन के लिए प्राप्त आवेदन **अनुबंध-III** में दिए गए हैं। ताप विद्युत संयंत्रों के नवीकरण के लिए कोई प्रस्ताव केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में प्राप्त नहीं हुआ है।

अनुबंध-1

लोक सभा में दिनांक 23.03.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3504 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

राज्य सरकार के साथ विभिन्न राज्य सरकारों/संयुक्त उद्यमों द्वारा स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित ताप विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

क्रम सं.	परियोजना का नाम	यूनिटों की सं. x यूनिट आकार (मेगावाट)	क्षमता (मेगावाट)	राज्य
1	पीरपैती टीपीपी	2x660	1320	बिहार
2	लखीसराय टीपीपी	2x660	1320	बिहार
3	पानीपत टीपीपी यू-9	1x660/800	660/800	हरियाणा
4	दीनबंदु छोटू राम टीपीपी	1x660	660	हरियाणा
5	जवाहरपुर टीपीपी	2x660	1320	उत्तर प्रदेश
6	पंकी एक्सटें.	1x660	660	उत्तर प्रदेश
7	ओबरा-सी एक्सटें. टीपीपी	2x660	1320	उत्तर प्रदेश
8	हरदुआगंज टीपीपी एक्सटें.-II	1x660	660	उत्तर प्रदेश
9	हाजीपुर में टीपीपी	2x660	1320	पंजाब
10	भैयाथां टीपीपी	2x660	1320	छत्तीसगढ़
11	कोरबा साउथ	2x500	1000	छत्तीसगढ़
12	दुवासन टीपीपी	2x800	1600	गुजरात
13	सिनोर टीपीपी यूनिट-2	1x800	800	गुजरात
14	सतपुड़ा टीपीएस	1x660	660	मध्य प्रदेश
15	नासिक टीपीएस	1x660	660	महाराष्ट्र स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लि.
16	भुसावल टीपीपी यूनिट-6	1x660	660	महाराष्ट्र स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लि.
17	गोधना टीपीपी	2x800	1600	छत्तीसगढ़
18	सिंगरैनी यूनिट-3	1x600	600	तेलंगाना
19	एन्नोर टीपीएस	1x660	660	तमिलनाडु
20	उदानगुडी स्टे.-I	2x660	1320	तमिलनाडु
21	डॉ. एनटीटीपीएस स्टेज-V	1x800	800	आंध्र प्रदेश
22	श्रीकाकुलम टीपीएस	2400	2400	आंध्र प्रदेश
23	श्री दामोदरम संजीव्याह	1x800	800	आंध्र प्रदेश
24	इदलापुर	1x800	800	कर्नाटक
25	एन्नोर टीपीएस रिप्लेसमेंट	1x660	660	तमिलनाडु
26	अपर टीपीपी	2x800	1600	तमिलनाडु
27	पतरातु टीपीएस एक्सपेंशन फेज-I	3x800	2400	झारखंड
28	टेनुघाट टीपीएस एक्सपेंशन	2x660	1320	झारखंड
29	बकरेश्वर टीपीपी	1x660	660	पश्चिम बंगाल
30	संतालडीह टीपीपी	2x800	1600	पश्चिम बंगाल
31	कामाख्या टीपीपी	3x800	2400	ओडिशा
32	सागरदिघी	1x600	600	पश्चिम बंगाल
33	मरघेरिता टीपीपी	1x660	660	असम

लोक सभा में दिनांक 23.03.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3504 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

उन जल विद्युत परियोजनाओं की सूची जो सीईए के विभिन्न मूल्यांकन समूहों के पास हैं

(20.03.2017 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	स्कीम	राज्य	क्षेत्र	एजेंसी	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
1.	जेलम टमक	उत्तराखंड	केंद्रीय	टीएचडीसीआईएल	108
2.	बोवाला नंद प्रयाग	उत्तराखंड	राज्य	यूजेवीएनएल	300
3.	दगामारा	बिहार	राज्य	बीएसएचपीसीएल	130
4.	उम्नगोट	मेघालय	राज्य	एमईपीजीसीएल	210
5.	सुबानसिरी मिडिल (कमला)	अरुणाचल प्रदेश	निजी	केएचईपीसीएल	1800
6.	अडुनली	अरुणाचल प्रदेश	निजी	एएचईपीसीएल	680
7.	मोगोचू	अरुणाचल प्रदेश	निजी	एसएमसीपीसीएल	96
8.	दिबांग	अरुणाचल प्रदेश	केंद्रीय	एनएचपीसी	2880
9.	लुहरी-I एचईपी	हिमाचल प्रदेश	केंद्रीय	एसजेवीएनएल	210
				कुल	6414

लोक सभा में दिनांक 23.03.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3504 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

उन परियोजनाओं का ब्यौरा जिनके लिए ब्रिज लिंकेज आवेदन राज्य सरकार से प्राप्त किए गए

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य	विकासकर्ता	क्षमता (मेगावाट)	एसएलसी (एलटी) द्वारा सिफारिश किए गए ब्रिज लिंकेज की क्षमता
1.	पेगादापल्ली में टीपीपी	तेलंगाना	सिंगरैनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड	2x600 मेगावाट स्टेज-I	1200
2.	पेगादापल्ली में टीपीपी	तेलंगाना	सिंगरैनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड	(1x660 मेगावाट Stage-II)	ब्रिज लिंकेज अनुमोदित नहीं किया गया
3.	हरदुआगंज एक्सटें.	उत्तर प्रदेश	यूपीआरवीयूएनएल	1x660	660
4.	जवाहरपुर टीपीपी	उत्तर प्रदेश	यूपीआरवीयूएनएल	2x660	1320
5.	आईबी टीपीपी एक्सपें.	ओडिशा	ओपीजीसी	2x660	1320
6.	येरमारस टीपीपी	कर्नाटक	केपीसीएल	2x800	1600
7.	बेल्लारी टीपीपी यूनिट-3	कर्नाटक	केपीसीएल	1x700	700
8.	पंकी एक्सटें. टीपीपी	उत्तर प्रदेश	यूपीआरवीयूएनएल	1x660	660
9.	मारवा टीपीपी यू-1 व 2	छत्तीसगढ़	सीएसपीजीसीएल	2x500	1000
10.	काकतिया स्टे.-II	तेलंगाना	टीएसजैको	1x600	600
11.	कोराडी टीपीपी यू-8,9,10	महाराष्ट्र	महाजैको	3x660	1980
12.	चंद्रपुर टीपीपी यू-8&9	महाराष्ट्र	महाजैको	2x500	1000
13.	पर्ली टीपीपी यू-8	महाराष्ट्र	महाजैको	1x250	250
14.	ओबरा 'सी' टीपीपी	उत्तर प्रदेश	यूपीआरवीयूएनएल	2x660	1320
15.	छाबड़ा टीपीपी यूनिट-5 व 6	राजस्थान	आरआरवीयूएनएल	2x660	1320
16.	सूरतगढ़ टीपीपी यू-7 व 8	राजस्थान	आरआरवीयूएनएल	2x660	1320
17.	छाबड़ा टीपीपी यूनिट-3 व 4	राजस्थान	आरआरवीयूएनएल	2x250	500
18.	कालीसिंध टीपीपी यूनिट-1 व 2	राजस्थान	आरआरवीयूएनएल	2x600	1200
19.	श्री सिंगाजी फेज-II	मध्य प्रदेश	एमपीपीजीसीएल	2x660	1320

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3506

जिसका उत्तर 23 मार्च, 2017 को दिया जाना है।

उज्ज्वल भारत

3506. श्री कंवर सिंह तंवर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या उज्ज्वल भारत योजना जो कि ग्रामीण, शहरी और दूरवर्ती क्षेत्रों में विद्युत की अबाधित आपूर्ति सुनिश्चित करती है, आरंभ की जा चुकी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) केन्द्र सरकार द्वारा इस पहल के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और उठाए जाने का प्रस्ताव है; और
- (ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु, मौजूदा वित्तपोषण और कार्यकारी पैटर्न का पुनरुद्धार करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : भारत सरकार द्वारा "उज्ज्वल भारत स्कीम" शीर्षक से कोई स्कीम शुरू नहीं की गई है। तथापि, भारत सरकार ने वर्ष 2019 तक 24X7 सस्ती एवं पर्यावरण के अनुकूल "सभी के लिए विद्युत" उपलब्ध कराने के लिए कई उपाय किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- I. 18,452 गैर-विद्युतीकृत गाँवों का विद्युतीकरण (01.04.2015 की स्थिति के अनुसार): 20.03.2017 तक की स्थिति के अनुसार 12,661 गाँव विद्युतीकृत किए गए हैं।
- II. उत्पादन, पारेषण क्षमता तथा वितरण प्रणाली की पर्याप्तता को शामिल करते हुए सभी के लिए 24X7 घंटे विद्युत के लिए राज्य विशिष्ट कार्य योजनाओं की तैयारी: 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ 24X7 विद्युत संबंधी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- III. ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) नामक योजना की शुरुआत: इस योजना में (क) कृषि और गैर-कृषि फीडरों के पृथक्करण; (ख) वितरण ट्रांसफार्मरों, फीडरों, तथा अंतिम उपभोक्ताओं तक मीटरिंग सहित ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण एवं वितरण अवसंरचना का सुदृढीकरण एवं संवर्द्धन तथा (ग) ग्रामीण विद्युतीकरण की व्यवस्था की गई है।
- IV. शहरी क्षेत्रों के लिए एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) की शुरुआत: इस स्कीम में (क) शहरी क्षेत्रों में उप-पारेषण एवं वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण; (ख) शहरी क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग तथा (ग) वितरण क्षेत्र की आईटी सक्षमता तथा वितरण नेटवर्क का सुदृढीकरण।
- V. विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) का प्रचालनीकरण: विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) का उपयोग (क) कार्यनीतिक महत्व की आवश्यक पारेषण प्रणाली के सृजन; (ख) ग्रिड में वोल्टेज प्रोफाइल के सुधार के लिए शंट कैपेसिटर्स आदि की स्थापना; (ग) मानक एवं

विशेष सुरक्षा योजनाओं की संस्थापना तथा (घ) अवरोध आदि को दूर करने के लिए पारेषण एवं वितरण प्रणालियों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए वितरण यूटिलिटीयों द्वारा प्रस्तावित परियोजना के लिए किया जाएगा।

- VI. उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेस योजना (उदय) की शुरुआत: योजना की शुरुआत बिजली वितरण कंपनियों के प्रचालनात्मक एवं वित्तीय बदलाव के लिए की गई है।
- VII. कोयला आधारित विद्युत परियोजनाओं की उत्पादन लागत कम करने के लिए शुरू किए गए उपाय:
 - (क) घरेलू कोयले की अधिक आपूर्ति;
 - (ख) कोयला उपयोग लचीलापन
 - (ग) कोयला लिंकेज का यौक्तिकीकरण।
- VIII. 2014-17 की अवधि के दौरान (28.02.2017 तक) 56232.6 मेगावाट उत्पादन क्षमता जोड़ी गई है।
- IX. विद्युत उत्पादन में वर्ष 2013-14 में 967 बिलियन यूनिट (बीयू) से 2014-15 में 1048 बीयू तथा 2015-16 में 1107 बीयू तक की वृद्धि हुई परिणामस्वरूप 2015-16 में 2.1% की अब तक की सबसे कम ऊर्जा की कमी हुई। वर्तमान वर्ष 2016-17 (फरवरी, 2017 तक) के दौरान, विद्युत उत्पादन 1057.746 के बीच रहा है। ऊर्जा कमी में अप्रैल-फरवरी, 2017 तक की अवधि के दौरान 0.7% तक की कमी आई है जोकि अब तक की सबसे कम कमी है।
- X. वर्ष 2014 में फरवरी, 2017 के दौरान 73,798 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइनें तथा 1,89,948 एमवीए सब-स्टेशन क्षमता जोड़ी गई है। अप्रैल, 2014 में 3450 मेगावाट से फरवरी, 2017 में 6,450 मेगावाट तक दक्षिण भारत को पारेषण क्षमता में 87% की वृद्धि।
- XI. नवीकरणीय ऊर्जा के पारेषण के लिए हरित ऊर्जा कॉरिडोर का कार्यान्वयन।
- XII. एलईडी बल्बों सहित 77 करोड़ इंकैंडेसेंट बल्बों को बदलने के लिए सभी के लिए सस्ते एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति (उजाला)। इससे 20,000 मेगावाट की बचाई गई अनुमानित क्षमता का उत्पादन होगा और मार्च, 2019 तक प्रति वर्ष 100 बिलियन केडब्ल्यूएच की बचत होगी। आज की तारीख तक 21.8 करोड़ एलईडी बल्बों का वितरण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, लगभग 5.36 लाख ऊर्जा दक्ष पंखों तथा 13.37 लाख एलईडी ट्यूबलाइटों का वितरण किया जा चुका है।
- XIII. 1.4 करोड़ परंपरागत स्ट्रीट लाइटों को एलईडी स्ट्रीट लाइटों में बदलने के लिए सड़क प्रकाश व्यवस्था राष्ट्रीय कार्यक्रम (एसएलएनपी) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इसको बदलने से 1500 मेगावाट की बचाई गई अनुमानित क्षमता का उत्पादन होगा और मार्च, 2019 तक प्रति वर्ष 9 बिलियन केडब्ल्यूएच की बचत होगी। आज की तारीख तक लगभग 18.3 लाख एलईडी स्ट्रीट लाइटें पूरे देश में बदली की गई हैं।

(ग) : सरकार द्वारा शुरू की गई नई स्कीमों के लिए वित्तपोषण पद्धति निम्नवत हैं:

- i. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) एवं एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस): भारत सरकार का अनुदान 60% (विशेष श्रेणी राज्यों के मामले में 85%); यूटिलिटी/राज्य योगदान-10% (विशेष श्रेणी राज्यों के मामले में 5%); बैंकों/वित्तीय संस्थानों से ऋण-30% (विशेष श्रेणी राज्यों के मामले में 10%) -निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति पर भारत सरकार की ओर से अतिरिक्त अनुदान-ऋण घटक का 50%।
- ii. विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ): निधियों की उपलब्धता एवं स्वीकार्यता के अधीन परियोजना लागत के लिए अनुदान की मात्रा गैर-विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 75% से 100% तक है। पूर्वोत्तर तथा अन्य पर्वतीय राज्यों अर्थात् जम्मू एवं कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड से परियोजनाएं 100% तक के अनुदान की पात्र हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3550

जिसका उत्तर 23 मार्च, 2017 को दिया जाना है।

पारेषण क्षमता

3550. श्री आर. पार्थिवनः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश के विद्युत संयंत्रों की कुल संस्थापित क्षमता कितनी है;
- (ख) क्या विद्युत की मांग हमेशा आपूर्ति से अधिक रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या वर्तमान संस्थापित पारेषण क्षमता कुल संस्थापित उत्पादन क्षमता का केवल 13 प्रतिशत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या पारेषण नेटवर्क जो शहरी एवं औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास तक सीमित है, पृथक प्रणाली से बढ़कर देशव्यापी नेशनल ग्रिड तक पहुंच गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : दिनांक 28 फरवरी, 2017 की स्थिति के अनुसार, देश में विद्युत संयंत्रों की कुल संस्थापित क्षमता 315426.32 मेगावाट (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत (आरईएस) से 50,018 मेगावाट सहित) है।

(ख) : जी नहीं, विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन क्षमता उपलब्ध है। देश में विद्युत की मांग और आपूर्ति के बीच केवल मामूली अंतर है। कुछ राज्य, पारेषण/वितरण/ वित्तीय कठिनाइयों की वजह से विद्युत की मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं। चालू वर्ष (अप्रैल, 2016 से फरवरी, 2017) के दौरान ऊर्जा और व्यस्ततम मांग की दृष्टि से विद्युत की मांग और आपूर्ति का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ग) : 28 फरवरी, 2017 की स्थिति के अनुसार देश में 3,65,134 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइनें (220 केवी और उससे अधिक) तथा 7,20,494 एमवीए अंतरण क्षमता (220 केवी और उससे अधिक) विद्यमान हैं।

(घ) : जी हां, पारेषण नेटवर्क 1947 में स्वतंत्रता के समय शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों के आस-पास केंद्रित पृथक प्रणाली से देश व्यापी राष्ट्रीय ग्रिड तक बढ़ गया है। छठी योजना के अंत में 220 केवी और उससे अधिक पर कुल पारेषण क्षमता 52,034 सर्किट किलोमीटर से बढ़कर 28.02.2017 की स्थिति के अनुसार 3,65,134 सर्किट किलोमीटर हो गई है। छठी योजना के अंत में 220 केवी और उससे अधिक पर उपकेंद्र अंतरण क्षमता 46,621 एमवीए से बढ़कर 28.02.2017 की स्थिति के अनुसार 7,20,494 एमवीए हो गई है। इसमें राज्य और अंतर राज्य पारेषण प्रणालियां दोनों शामिल हैं।

लोक सभा में दिनांक 23.03.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3550 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

2016-17 के लिए विद्युत आपूर्ति स्थिति (अंतिम)

राज्य/सिस्टम/क्षेत्र	ऊर्जा				व्यस्ततम			
	अप्रैल, 2016 - फरवरी, 2017				अप्रैल, 2016 - फरवरी, 2017			
	ऊर्जा आवश्यकता (एमयू)	आपूर्ति की गई ऊर्जा (एमयू)	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा (एमयू)	(%)	व्यस्ततम मांग (मेगावाट)	व्यस्ततम आपूर्ति (मेगावाट)	पूरी नहीं की गई मांग (मेगावाट)	(%)
चंडीगढ़	1,541	1,541	0	0	361	361	0	0
दिल्ली	28,862	28,831	-31	-0.1	6,342	6,261	-81	-1.3
हरियाणा	45,324	45,324	0	0.0	9,262	9,262	0	0.0
हिमाचल प्रदेश	8,087	8,037	-50	-0.6	1,492	1,492	0	0.0
जम्मू व कश्मीर	15,929	12,887	-3,042	-19.1	2,675	2,140	-535	-20.0
पंजाब	49,659	49,659	0	0.0	11,408	11,408	0	0.0
राजस्थान	62,282	61,862	-420	-0.7	10,613	10,348	-265	-2.5
उत्तर प्रदेश	98,619	96,816	-1,803	-1.8	17,183	15,501	-1,682	-9.8
उत्तराखंड	12,013	11,937	-76	-0.6	2,037	2,037	0	0.0
उत्तरी क्षेत्र	3,22,317	3,16,897	-5,420	-1.7	53,372	52,612	-760	-1.4
छत्तीसगढ़	21,193	21,140	-53	-0.3	3,875	3,851	-25	-0.6
गुजरात	94,366	94,365	-1	0.0	14,724	14,708	-16	-0.1
मध्य प्रदेश	60,520	60,519	-1	0.0	11,512	11,501	-11	-0.1
महाराष्ट्र	1,26,561	1,26,503	-58	0.0	21,281	21,204	-76	-0.4
दमन व दीव	2,190	2,190	0	0.0	327	327	0	0.0
दादरा नागर हवेली	5,544	5,544	0	0.0	784	784	0	0.0
गोवा	3,971	3,969	-2	-0.1	531	531	0	0.0
पश्चिमी क्षेत्र	3,14,343	3,14,232	-111	0.0	47,962	47,844	-119	-0.2
आंध्र प्रदेश	49,283	49,242	-41	-0.1	7,969	7,965	-4	-0.1
तेलंगाना	47,601	47,591	-10	0.0	8,927	8,927	0	0.0
कर्नाटक	60,472	60,117	-355	-0.6	10,257	10,242	-14	-0.1
केरल	22,018	21,984	-34	-0.2	4,132	3,996	-135	-3.3
तमिलनाडु	95,036	95,017	-19	0.0	14,823	14,823	0	0.0
पुडुचेरी	2,316	2,313	-3	-0.1	371	368	-3	-0.7
लक्षद्वीप#	44	44	0	0	8	8	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	2,76,729	2,76,265	-464	-0.2	42,052	41,610	-442	-1.1
बिहार	23,616	23,150	-466	-2.0	3,883	3,759	-125	-3.2
डीवीसी	17,043	16,909	-134	-0.8	2,721	2,721	0	0.0
झारखंड	7,274	7,223	-51	-0.7	1,498	1,498	0	0.0
ओडिशा	24,343	24,341	-2	0.0	4,012	4,012	0	0.0
पश्चिम बंगाल	44,342	44,214	-128	-0.3	7,931	7,886	-45	-0.6
सिक्किम	436	436	0	0.0	112	112	0	0.0
अंडमान-निकोबार#	220	165	-55	-25	40	32	-8	-20
पूर्वी क्षेत्र	1,17,057	1,16,277	-780	-0.7	18,790	18,596	-194	-1.0
अरुणाचल प्रदेश	660	646	-14	-2.1	148	140	-8	-5.4
असम	8,387	8,088	-299	-3.6	1,673	1,633	-40	-2.4
मणिपुर	693	670	-23	-3.3	163	163	0	-0.2
मेघालय	1,565	1,565	0	0.0	331	331	0	0.0
मिजोरम	466	455	-11	-2.4	98	98	0	0.0
नागालैंड	687	675	-12	-1.7	148	147	-1	-0.7
त्रिपुरा	1,423	1,403	-20	-1.4	284	284	0	0.0
पूर्वांचल क्षेत्र	13,879	13,493	-386	-2.8	2,487	2,475	-12	-0.5
अखिल भारत	10,44,325	10,37,163	-7,162	-0.7	1,59,542	1,56,934	-2,608	-1.6

लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह स्टैंड अलोन प्रणाली में हैं, इसलिए इनकी विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और उपलब्धता का भाग नहीं है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3557
जिसका उत्तर 23 मार्च, 2017 को दिया जाना है।

गांवों का विद्युतीकरण

3557. श्री विनसेंट एच. पाला:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान मेघालय में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के तहत कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया तथा उक्त अवधि के दौरान इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) अगले दो वर्षों के दौरान कितने गांवों का विद्युतीकरण प्रस्तावित है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत और जारी की गई?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : मेघालय राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले 2 वित्तीय वर्षों अर्थात् 2015-16 तथा 2016-17 (28.02.2017 तक) के दौरान दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के ग्रामीण विद्युतीकरण के अंतर्गत 682 गाँव विद्युतीकृत किए गए हैं। उक्त इसी अवधि के दौरान मेघालय को 8.5 करोड़ रुपये की पूंजीगत सब्सिडी जारी की गई है।

(ख) : राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मेघालय में केवल 230 गैर-विद्युतीकृत गाँव (28.02.2017 की स्थिति के अनुसार) हैं और मई, 2018 से पूर्व इन्हें विद्युतीकृत किए जाने का लक्ष्य है।

(ग) : डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत मेघालय राज्य के लिए 302.24 करोड़ रुपये के परिव्यय की परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं और इसी अवधि के दौरान परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को 8.5 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3572

जिसका उत्तर 23 मार्च, 2017 को दिया जाना है।

गर्व ऐप के माध्यम से शिकायत

3572. श्रीमती रंजीत रंजन:

श्री राजेश रंजन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में पावर ग्रिड से जुड़े हुए आवास, जिनको विद्युत नहीं मिल रही है, वे इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नहीं होने के बावजूद गर्व ऐप के माध्यम से केन्द्रीय तथा राज्य स्तरीय कर्मचारियों तक पहुंच सकते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) सरकार को गर्व ऐप के माध्यम से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा गत एक वर्ष के दौरान इस पर राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या कार्रवाई की गई है; और
- (ग) ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत अब तक कुल कितनी धनराशि राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार व्यय की गई है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : "संवाद" नामक एक शिकायत निवारण मंच गर्व ऐप में उपलब्ध है जिसमें नागरिक संबंधित अधीक्षण अभियंता (एसई) को ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में अपने मामलों को उठाते हुए अपना फीडबैक/प्रश्न साझा कर सकते हैं। संवाद के लिए इंटरनेट-कनेक्टिविटी अनिवार्य है।

28.02.2017 तक गर्व ऐप के जरिए प्राप्त राज्य-वार शिकायतें और राज्य डिस्कॉमों द्वारा की गई कार्रवाई अनुबंध-I में दी गई है।

(ग) : ग्रामीण विद्युतीकरण (आरई) घटक सहित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत 2014-15 से जारी की गई राज्यवार निधि अनुबंध-II में दी गई है।

लोक सभा में दिनांक 23.03.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3572 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

'संवाद' के माध्यम से गर्व ऐप पर प्राप्त की गई शिकायतों की स्थिति

28.02.2017 की स्थिति के अनुसार

क्रम सं.	राज्य का नाम	प्राप्त की गई शिकायतें	कार्रवाई की गई शिकायतों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	7	3
2	अरुणाचल प्रदेश	2	0
3	असम	5	1
4	बिहार	92	5
5	छत्तीसगढ़	3	0
6	गुजरात	3	1
7	हरियाणा	10	2
8	जम्मू व कश्मीर	4	0
9	झारखंड	5	1
10	कर्नाटक	1	0
11	केरल	5	5
12	मध्य प्रदेश	8	0
13	महाराष्ट्र	7	6
14	ओडिशा	5	0
15	राजस्थान	20	11
16	तमिलनाडु	2	0
17	तेलंगाना	1	1
18	उत्तर प्रदेश	93	0
19	उत्तराखंड	5	0
20	पश्चिम बंगाल	1	0
कुल		279	36

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 23.03.2017 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 3572 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले तीन वर्षों के दौरान आरई घटक सहित डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत जारी की गई राज्य-वार निधियां

(रुपए करोड़ में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	2014-15	2015-16	2016-17 (28.2.2017 तक)
1	आंध्र प्रदेश	1897	1962	7562
2	अरुणाचल प्रदेश	6034	3098	5335
3	असम	11462	33801	22545
4	बिहार	148980	71022	124862
5	छत्तीसगढ़	8111	24731	4273
6	गुजरात	1236	5779	3100
7	हिमाचल प्रदेश		2835	
8	झारखंड	942		31296
9	कर्नाटक	2596	3896	2833
10	केरल	1537		7512
11	मध्य प्रदेश	35198	43483	22242
12	महाराष्ट्र		4327	6964
13	मणिपुर	8766	704	
14	मेघालय			850
15	मिजोरम		1860	96
16	नागालैंड		4831	717
17	ओडिशा	1553	51423	69367
18	राजस्थान		25252	19922
19	तमिलनाडु		8262	
20	तेलंगाना	344	533	2333
21	त्रिपुरा	4819	4938	3656
22	उत्तर प्रदेश	112107	123766	63743
23	उत्तराखंड		7121	
24	पश्चिम बंगाल	14503	30519	6172

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3577

जिसका उत्तर 23 मार्च, 2017 को दिया जाना है।

गांवों का विद्युतीकरण

3577. डॉ. उदित राज:

श्री भगवंत खुबा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण की परिभाषा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए कौन सी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ग) योजना की सफलता का ब्यौरा क्या है तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया और देश के सभी राज्यों के विद्युतीकरण हेतु क्या समय-सीमा तय की गई है; और

(घ) क्या सरकार को ऊर्जा, पर्यावरण तथा जल परिषद (सीईईडब्ल्यू) और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अध्ययन की जानकारी है जिसके अनुसार ग्रामीण परिवार, ग्रामीण विद्युतीकरण के मामले में अभी भी पीछे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : ग्रामीण विद्युतीकरण (आरई) नीति, 2006 के अनुसार, किसी गांव को विद्युतीकृत सूचित किया जाता है, यदि

- (i) आधारभूत ढांचे जैसे वितरण ट्रांसफार्मर और वितरण लाइनें बसी हुई स्थानीय आबादी के साथ-साथ समाज के कमजोर वर्गों की बसी हुई स्थानीय आबादी/पुरवों जहां वे विद्यमान हैं, उपलब्ध कराई गई हैं,
- (ii) सार्वजनिक स्थानों जैसे स्कूलों, पंचायत घरों, स्वास्थ्य केंद्रों, औषधालयों, सामुदायिक केंद्रों आदि को विद्युत उपलब्ध कराई गई है, तथा
- (iii) विद्युतीकृत घरों की संख्या गांव के कुल घरों की संख्या का कम से कम 10% होनी चाहिए।

किसी गांव को राज्यों द्वारा विद्युतीकृत सूचित किया जाता है, जब वह उपरोक्त मानदण्डों को पूरा करता है। तथापि, आधारभूत ढांचे का स्तर उसी गांव के विभिन्न वासस्थलों में पृथक-पृथक हो सकता है।

(ख) : ग्रामीण क्षेत्रों में, कृषि और गैर-कृषि उपभोक्ताओं को आपूर्ति की विवेकपूर्ण रोस्ट्रिंग की सुविधा प्रदान करके कृषि तथा गैर-कृषि फीडरों को पृथक करने, ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण और वितरण अवसंरचना के सुदृढीकरण एवं सवर्धन जिसमें ग्रामीण विद्युतीकरण और वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं पर मीटरिंग शामिल है, के लिए भारत सरकार ने दिसंबर, 2014 में 43033 करोड़ रूपए के परिव्यय से दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) अनुमोदित की है।

(ग) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष (28.02.2017 तक) के दौरान 5256 गांव विद्युतीकृत किए गए हैं। सभी गैर-विद्युतीकृत गांवों को 1 मई, 2018 तक विद्युतीकृत किए जाने का लक्ष्य है।

(घ) : ऊर्जा, पर्यावरण एवं जल परिषद (सीईईडब्ल्यू) ने ऊर्जा पहुंच सर्वेक्षण प्रकाशित किया है। भारत सरकार ने 'सभी के लिए 24x7 विद्युत' उपलब्ध कराने के लिए राज्य विशिष्ट दस्तावेज तैयार करने तथा राज्य नीति के अनुसार कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त आपूर्ति हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ एक संयुक्त पहल शुरू की है। आज की तारीख के अनुसार उत्तर प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 'सभी के लिए 24x7 विद्युत' के लिए केंद्र सरकार के साथ दस्तावेज हस्ताक्षरित किए हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3585

जिसका उत्तर 23 मार्च, 2017 को दिया जाना है ।

राजसहायता विस्तार योजना

3585. श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में गैस-आधारित विद्युत संयंत्रों को उपलब्ध करायी जा रही राजसहायता विस्तार योजना को वापस लेने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विद्युत उत्पादक संघ अल्पावधि समाधान के रूप में इस योजना का केवल दो वर्षों तक विस्तार करने का अनुरोध कर रहे हैं ताकि वे कोई वैकल्पिक व्यवस्थाएं कर सकें और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की इस अनुरोध पर क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : भारत सरकार ने वर्ष 2015-2016 तथा वर्ष 2016-2017 में स्ट्रैंडेड गैस आधारित विद्युत संयंत्रों और रिवर्स ई-बीडिंग प्रक्रिया के माध्यम से चयनित लक्षित प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) तक घरेलू गैस प्राप्त कर रहे संयंत्रों के लिए स्पॉट रि-गैसीफाइड लिक्विफाइड नैचुरल गैस (आरएलएनजी) के आयात के लिए एक योजना स्वीकृत की है।

विद्युत उत्पादकों के संघ से योजना के विस्तार के लिए एक अनुरोध प्राप्त हुआ है। यह योजना दो वर्षों की अवधि के लिए स्वीकृत की गयी थी और मार्च, 2017 में पूरी हो जाएगी। योजना का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3591

जिसका उत्तर 23 मार्च, 2017 को दिया जाना है।

प्रदूषण संबंधी मानदंड

3591. श्री अनंतकुमार हेगड़े:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में ताप विद्युत संयंत्रों के लिए प्रदूषण संबंधी मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन मानदंडों के कार्यान्वयन से विद्युत के वर्तमान उत्पादन के नकारात्मक रूप से प्रभावित होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) ने सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम), सल्फर डाईऑक्साईड, नाइट्रोजन ऑक्साईड, मरकरी के लिए ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) हेतु 07 दिसंबर, 2015 को नए पर्यावरणीय मानक अधिसूचित किए हैं। इन मानकों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

उत्सर्जन पैरामीटर	31 दिसंबर, 2003 से पूर्व संस्थापित टीपीपीएस (इकाइयां)	31 दिसंबर, 2003 के बाद तथा 31 दिसंबर, 2016 तक संस्थापित टीपीपीएस (इकाइयां)	01 जनवरी, 2017 के बाद चालू की जाने वाली टीपीपीएस (इकाइयां)
पार्टिकुलेट मैटर	10 एमजी/एनएम ³	50 एमजी/एनएम ³	30 एमजी/एनएम ³
सल्फर डाईऑक्साईड	500 मेगावाट क्षमता से कम की इकाइयां हेतु 600 एमजी/एनएम ³ तथा 500	500 मेगावाट क्षमता से कम की इकाइयां हेतु 600 एमजी/एनएम ³ तथा 500 मेगावाट	100 एमजी/एनएम ³

	मेगावाट तथा इससे अधिक की क्षमता वाली इकाइयों के लिए 200 एमजी/एनएम ³	तथा इससे अधिक की क्षमता वाली इकाइयों के लिए 200 एमजी/एनएम ³	
नाइट्रोजन ऑक्साइड	600 एमजी/एनएम ³	300 एमजी/एनएम ³	100 एमजी/एनएम ³
मरकरी	500 मेगावाट तथा इससे अधिक की क्षमता वाली इकाइयों के लिए 0.03 एमजी/एनएम ³	0.03 एमजी/एनएम ³	0.03 एमजी/एनएम ³

(ग) और (घ) : पर्यावरणीय नियंत्रण प्रणालियों की संस्थापना पूंजी प्रधान होती है तथा इसमें अतिरिक्त प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय शामिल होता है। कुछ मौजूदा पुराने कोयला आधारित संयंत्र विभिन्न कारणों जैसे प्रदूषण नियंत्रण उपस्करों की स्थापना हेतु आवश्यक स्थान की कमी तथा भारतीय कोयले के लिए उपयुक्त तकनीकी का उपलब्ध न होने के कारण नए मानकों को पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकी तथा कुछ अवधि के बाद इन्हें चरणबद्ध रूप में समाप्त किया जाना अपेक्षित होगा।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3615

जिसका उत्तर 23 मार्च, 2017 को दिया जाना है।

गांवों का विद्युतीकरण

3615. श्री राजकुमार सैनी:

श्री पशुपति नाथ सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने दस राज्यों में चौबीस घंटे बिजली प्रदान करने एवं देशभर में 100 प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण करने के लिए कोई रोडमैप तैयार किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार को उक्त राज्यों में चौबीस घंटे विद्युत आपूर्ति प्रदान करने में समस्या आ रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;
- (ग) चौबीस घंटे विद्युत आपूर्ति के लिए सरकार ने किन दस राज्यों का चयन किया है; और
- (घ) देशभर में अबाधित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या पहलें की जा रही हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : उपभोक्ताओं के लिए विद्युत की आपूर्ति राज्य/विद्युत यूटिलिटीयों की जिम्मेदारी है। फिर भी भारत सरकार ने सभी के लिए 24X7 विद्युत उपलब्ध कराने हेतु राज्य विशिष्ट दस्तावेज तैयार करने और राज्य नीति के अनुसार कृषि उपभोक्ताओं के लिए पर्याप्त विद्युत आपूर्ति के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ संयुक्त पहल की है।

रोडमैप में सभी के लिए 24X7 विद्युत उपलब्ध करवाने के लिए आवश्यक ऊर्जा मूल्यांकन, विभिन्न स्रोतों से राज्य के लिए विद्युत की उपलब्धता की पर्याप्तता, अन्तर राज्य पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस)की पर्याप्तता, अन्तर राज्यों में 24X7 विद्युत सुनिश्चित करने के लिए अन्तरराज्य पारेषण प्रणाली और वितरण अवसंरचना में शामिल है। नवीकरणीय ऊर्जा योजना का विकास तथा राज्य में ऊर्जा दक्षता संभाव्यता भी दस्तावेज का भाग है। उत्तरप्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ सभी के लिए 24X7 विद्युत दस्तावेज हस्ताक्षरित किया गया है।

(घ) : विद्युत की आपूर्ति का उत्तरदायित्व राज्य/यूटिलिटी का है। भारत सरकार राज्यों के उद्देश्यों को हासिल करने में उनकी सहायता करने के लिए उज्ज्वल डिस्काम एश्योरेंस योजना (उदय), एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) और दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) जैसी स्कीमों के लिए राज्यों की सहायता करती है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3641

जिसका उत्तर 23 मार्च, 2017 को दिया जाना है।

डीडी यूजीजेवाई के अंतर्गत सहायता

3641. श्री गौरव गोगोई:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडी यूजीजेवाई) के अंतर्गत नई विद्युत लाइनों और उप-स्टेशनों के लिए कोई सहायता प्रदान की गई है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या डीडी यूजीजेवाई के अंतर्गत विद्युतीकृत किए गए गांवों में ग्रामीण परिवारों और कृषि के लिए विद्युत दी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) गत एक वर्ष के दौरान ए.टी. एंड सी. की हानि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार मात्रा कितनी है और इस पर क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : भारत सरकार (जीओआई) ने 43,033 करोड़ रूपए के परिव्यय से देश में दिसंबर, 2014 में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) की शुरुआत की है। इस स्कीम के तहत नई लाइनों और उप केंद्रों की संस्थापना सहित ग्रामीण क्षेत्रों में प्रणाली सुदृढीकरण के लिए 9601.87 करोड़ रूपए संस्वीकृत किए गए हैं।

(ग) : भारत सरकार घरों और कृषि के लिए विद्युत की आपूर्ति हेतु आधारभूत ढांचा विकसित करने में सहायता करती है। तथापि, विद्युत की आपूर्ति राज्य/डिस्काम का उत्तरदायित्व है।

(घ): पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) लिमिटेड 'राज्य विद्युत यूटिलिटीयों के निष्पादन संबंधी रिपोर्ट' के अनुसार 2014-15 के लिए उपभोक्ताओं को सीधे विद्युत की बिक्री करने वाली यूटिलिटीयों के लिए सम्पूर्ण समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियां 24.62% हैं। राज्य की एटीएंडसी हानियों का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्काम) की वित्तीय और प्रचालनात्मक दक्षताओं में सुधार करने के लिए 20 नवंबर, 2015 को उदय (उज्ज्वल डिस्काम एश्योरेंस योजना) की शुरुआत की है। स्कीम का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2018-19 तक समग्र एटीएंडसी हानियों को घटाकर 15% तक करना है।

लोक सभा में दिनांक 23.03.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3641 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

राज्यों की एटीएंडसी हानि (% में)

राज्य	2014-15
बिहार	43.99
झारखंड	47.01
सिक्किम	42.37
पश्चिम बंगाल	35.35
ओडिशा	39.28
अरुणाचल प्रदेश	67.83
असम	26.00
मणिपुर	49.62
मेघालय	34.69
मिजोरम	33.51
नागालैंड	78.48
त्रिपुरा	38.02
दिल्ली	12.90
हरियाणा	32.52
हिमाचल प्रदेश	15.21
जम्मू व कश्मीर	59.04
पंजाब	17.56
राजस्थान	29.28
उत्तर प्रदेश	33.82
उत्तराखंड	18.82
आंध्र प्रदेश	10.55
कर्नाटक	18.71
केरल	17.64
पुडुचेरी	16.64
तमिलनाडु	24.74
तेलंगाना	13.23
छत्तीसगढ़	27.84
गोवा	13.31
गुजरात	16.06
मध्य प्रदेश	30.26
महाराष्ट्र	19.75
राष्ट्रीय स्तर	24.62

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3642

जिसका उत्तर 23 मार्च, 2017 को दिया जाना है।

ओडिशा में यू.एम.पी.पी.

3642. डॉ. कुलमणि सामल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केन्द्र सरकार को जानकारी है कि बेड़ाबहल में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट के लिए ओडिशा राज्य ने 350 करोड़ रुपए के लगभग अंशदान किया है और ओडिशा राज्य सरकार ने मानक बोली पत्रक पर अपने विचार/प्रतिक्रिया भी भेजी है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज की तिथि के अनुसार तत्संबंधी में क्या स्थिति है;
- (ग) क्या सरकार बेड़ाबहल यू.एम.पी.पी. की बोली की प्रक्रिया बोली संबंधी दस्तावेजों को अंतिम रूप देने और इसे शुरू करने के लिए कोई कदम उठा रही है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : विद्युत संयंत्र भूमि के अधिग्रहण की लागत और अन्य प्रभारों के लिए बेड़ाबहल अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट (यूएमपीपी) हेतु पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) (नोडल एजेंसी) द्वारा ओडिशा सरकार से लगभग 350 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है।

ग्रिड कारपोरेशन ऑफ ओडिशा (ग्रिडको) ने प्रारूप मानक बोली दस्तावेजों (एसबीडी) पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत की थीं। प्रारूप एसबीडी तैयार करने हेतु ग्रिडको तथा अन्य पणधारकों की टिप्पणियों पर विचार किया गया है।

(ग) और (घ) : इस प्रयोजन के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर तथा विभिन्न पणधारकों के परामर्श से, आबंटित घरेलू कैप्टिव कोयला ब्लॉक पर आधारित यूएमपीपी तथा आयातित कोयला आधारित यूएमपीपी के लिए प्रारूप दिशा-निर्देश तथा मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) तैयार किए गए हैं तथा सरकार के विचाराधीन हैं।

बोली दस्तावेजों को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात यूएमपीपी के लिए शीघ्र बोली हेतु सभी आवश्यक तैयारी संबंधी कार्रवाई कर ली गई है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3652

जिसका उत्तर 23 मार्च, 2017 को दिया जाना है।

रत्नागिरी गैस एंड पावर लिमिटेड

3652. श्री एस. आर. विजय कुमार:

श्री विद्युत वरण महतो:

श्री गजानन कीर्तिकर:

श्री अशोक शंकरराव चव्हाण:

श्री टी. राधकृष्णन:

श्री धनंजय महाडीक:

कुँवर भारतेन्द्र सिंह:

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:

श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकरराव:

श्री राजीव सातव:

श्रीमती सुप्रिया सुले:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रत्नागिरी गैस एंड पावर लिमिटेड की वर्तमान स्थिति क्या है और कम्पनी का कुल ऋण कितना है;

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में कम्पनी में विद्यमान मुद्दों के समाधान के लिए कम्पनी के हितधारकों की बैठक बुलाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य-वार पारेषण संबंधी प्रभारों और हानियों तथा गैस संबंधी करों को भी समाप्त करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से कहा है और यदि हां, तो इस पर महाराष्ट्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) पुनरुद्धार के पश्चात् कितनी विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा जाएगा और विद्युत उत्पादन की अनुमानित लागत कितनी है;

(ङ) विद्युत संयंत्र के शीघ्र पुनरुद्धार हेतु सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है; और

(च) क्या मूल्यनिर्धारण संबंधी समस्याओं के कारण आरजीपीपीएल और भारतीय रेल के बीच विद्युत समझौते में बाधा आई है और यदि हां, तो क्या सरकार 5.50 रुपये प्रति यूनिट की दर से 500 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति देने के लिए दोनों पक्षों को सहमत होने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : रत्नागिरी गैस एण्ड पावर प्राइवेट लिमिटेड (आरजीपीपीएल) ने वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए गैस आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता के उपयोग की स्कीम के अंतर्गत विद्युत का उत्पादन शुरू किया है। आरजीपीपीएल का कुल ऋण लगभग 8906 करोड़ रुपए है।

(ख) से (घ) : जी, हां। रेलवे ने पांच वर्ष की अवधि के लिए दिनांक 01.04.2017 से आरजीपीपीएल एक विद्युत संयंत्र से 500 मेगावाट विद्युत के खरीद को जारी रखने के लिए सहमति व्यक्त की है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य पारेषण प्रभारों तथा पारेषण हानियों की छूट तथा आरजीपीपीएल द्वारा गैस की खरीद पर वैट की भी छूट देने के लिए सैद्धांतिक सहमति प्रकट की है।

(ङ) : सरकार ने आरजीपीपीएल के पुनरुद्धार के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :-

- (i) विद्युत ब्लाक तथा लिक्विफाइड नैचुरल गैस (एलएनजी) टर्मिनल को दो पृथक इकाइयों में डीमर्ज करने का निर्णय लिया गया।
- (ii) बैंकों/वित्तीय संस्थानों ने ऋण के पुनर्गठन के लिए सहमति प्रकट की है।
- (iii) आरजीपीपीएल को पांच वर्ष की अवधि के लिए स्थिर मूल्य पर गैस की आपूर्ति के लिए गेल द्वारा सहमति व्यक्त की गई है।

(च) : उपरोक्त (ख) से (घ) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में, प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3661

जिसका उत्तर 23 मार्च, 2017 को दिया जाना है ।

संयुक्त पनविद्युत परियोजनाएं

3661. श्री भरत सिंह:

श्री मानशंकर निनामा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वर्तमान में भारत सरकार द्वारा नेपाल में संचालित की जा रही संयुक्त पनविद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;
- (ख) इन परियोजनाओं में भाग ले रहे संगठनों का नाम, लागत, क्षमता और समय सारणी क्या है; और
- (ग) इस परियोजनाओं से भारत और नेपाल के बीच विद्युत के वितरण और निवेश का अनुपात क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : वर्तमान में, भारत सरकार द्वारा नेपाल में प्रचालित की जा रही कोई संयुक्त जल विद्युत परियोजना नहीं है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3662

जिसका उत्तर 23 मार्च, 2017 को दिया जाना है ।

भूमिगत/इन्सुलेटेड केबल्स

3662. श्री विनोद लखमाशी चावड़ा:

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल:

श्री हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्यों में अनइंसुलेटेड ओवरहेड आपूर्ति लाइनों के कारण बिजली द्वारा जलने की बढ़ती संख्या की जानकारी है;
- (ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सूचित की गई ऐसी दुर्घटनाओं की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;
- (ग) क्या ऐसी अनइंसुलेटेड ओवरहेड आपूर्ति लाइनों द्वारा कारित होने वाली मौतों या चोट के मामले में कोई क्षतिपूर्ति अदा की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश भर में भूमिगत तारों या इंसुलेटेड ओवरहेड तारों के माध्यम से विद्युत आपूर्ति हेतु कोई कदम उठाये जाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और
- (ङ) क्या केन्द्र सरकार को नगर निगमों और नगर पालिकाओं में वितरण नेटवर्क को भूमिगत करने के लिए राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो सरकार द्वारा इन पर प्रस्ताव-वार क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी, हाँ। सरकार द्वारा विद्युत दुर्घटनाओं, जिसमें मानव एवं पशु दोनों के लिए विद्युत तारों/उपस्करों के संपर्क में आने से दुर्घटनाएं शामिल हैं, की निगरानी करते समय ऊपरी आपूर्ति लाइनों की से हुई दुर्घटनाओं का अलग ब्यौरा नहीं रखा जाता है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) से प्राप्त सूचना के अनुसार इन राज्यों द्वारा ऐसी दुर्घटनाओं से संबंधित भेजे गए आंकड़े अनुबंध-1 में दिए गए हैं।

(ग) : विशिष्ट विद्युत दुर्घटनाओं के कारण हुई मृत्यु अथवा चोटों के मामले में मुआवजा दिया जाता है। विद्युत का वितरण राज्यों तथा उनकी यूटिलिटीयों द्वारा किया जाता है तथा मृत्यु अथवा चोटों के मामले में संबंधित राज्य/यूटिलिटी प्राधिकारियों द्वारा मुआवजे का भुगतान किया जाता है।

(घ) और (ङ) : विभिन्न उपभोक्ताओं को विद्युत का वितरण संबंधित राज्य सरकार/विद्युत यूटिलिटीयों के अधिकार क्षेत्र में आता है तथा ओवरहेड सिस्टम के माध्यम से अथवा भूमिगत प्रणाली के माध्यम से उचित वितरण प्रणाली द्वारा अपने प्रचालन क्षेत्र में सभी उपभोक्ताओं को विश्वसनीय एवं गुणवत्तापरक विद्युत की आपूर्ति करना वितरण लाइसेंसियों का उत्तरदायित्व होता है।

भारत सरकार ने शहरी क्षेत्रों में उप-पारेषण प्रणाली, मीटरिंग तथा आईटी सक्षमीकरण के सुदृढीकरण के लिए 20.11.2014 को एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) (पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) में समाहित) की शुरुआत की है। योजना के अंतर्गत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विभिन्न विद्युत वितरण यूटिलिटीयों/विभागों से प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं, शहरी नगरों में उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण (भूमिगत वितरण नेटवर्क सहित) के लिए उनकी मांगों के आधार पर आज की तारीख तक भूमिगत वितरण नेटवर्क के लिए 2176.50 करोड़ रुपये सहित 25,898 करोड़ रुपये मूल्य की परियोजनाएं अनुबंध-II में दिए गए ब्यौरे के अनुसार संस्वीकृत की गई हैं।

पूर्वी क्षेत्र												
पश्चिम बंगाल	14	27	3	0	0	8	0	0	18	0	0	0
बिहार	एनए	एनए	एनए	एनए	86	24	10	0	एनए	एनए	एनए	एनए
झारखंड	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए
सिक्किम	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए
ओडिशा	12	2	0	0	32	27	23	2	37	21	13	2
उत्तरी क्षेत्र*												
हरियाणा	45	59	48	0	40	47	26	0	44	52	17	2
हिमाचल प्रदेश	17	31	5	0	8	18	2	0	17	15	9	0
जम्मू व कश्मीर	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए
पंजाब	34	30	6	0	2	2	0	0	52	45	9	0
राजस्थान	148	108	282	0	116	86	292	0	304	196	483	0
उत्तर प्रदेश	7	0	28	0	8	3	0	0	115	45	200	0
उत्तराखंड	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए
अन्य												
खान	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए
केंद्रीय सरकार संस्थापना	2	0	0	0	1	0	0	0	0	6	0	0
रेलवे	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए
संघ राज्य क्षेत्र												
दिल्ली	13	9	2	0	10	8	0	0	2	1	0	0
अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए
पुडुचेरी	3	1	4	0	2	0	0	0	3	4	1	0
चंडीगढ़	एनए	एनए	एनए	एनए	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1	0	0	0
दादरा व नागर हवेली	एनए	एनए	एनए	एनए	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	एनए	एनए	एनए	एनए
दमन व दीव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	एनए	एनए	एनए	एनए
लक्षद्वीप	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए
कुल	1750	1181	1388	16	1685	1006	1426	42	2141	1295	1982	58
कुल	4335				4159				5476			

एनए=उपलब्ध नहीं

* यूटी को छोड़कर: स्रोत: सीईए

लोक सभा में दिनांक 23.03.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3662 के भाग (घ) और (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

आईपीडीएस के अंतर्गत संस्वीकृत भूमिगत वितरण नेटवर्क का ब्यौरा		
क्रम सं.	राज्य	अनुमोदित लागत (रुपए करोड़ में)
		भूमिगत केबल (एचटी और एलटी)
1	आंध्र प्रदेश	24.50
2	असम	6.50
3	बिहार	137.00
4	छत्तीसगढ़	15.50
5	गुजरात	250.50
6	हरियाणा	85.60
7	हिमाचल प्रदेश	0.10
8	जम्मू व कश्मीर	1.30
9	झारखंड	27.30
10	कर्नाटक	157.60
11	केरल	62.50
12	महाराष्ट्र	633.70
13	मध्य प्रदेश	16.00
14	ओडिशा	27.50
15	पुडुचेरी	4.80
16	पंजाब	51.40
17	राजस्थान	70.00
18	तमिलनाडु	147.20
19	तेलंगाना	43.20
20	त्रिपुरा	23.80
21	उत्तर प्रदेश	236.70
22	उत्तराखंड	1.50
23	पश्चिम बंगाल	152.10
	कुल लागत:	2176.50

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3669

जिसका उत्तर 23 मार्च, 2017 को दिया जाना है।

ऊर्जा संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन

3669. श्री राजेशभाई चुड़ासमा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सचिवों के एक समूह ने संरक्षण और प्रभावकारिता के माध्यम से देश के ऊर्जा संसाधनों के प्रबंधन हेतु अनेक परिवर्तनकारी विचारों की अनुशंसा की है;
- (ख) यदि हां, तो समूह द्वारा की गई अनुशंसाओं का ब्यौरा क्या है;
- (ग) यदि सभी अनुशंसायें कार्यान्वित की जाती हो तो प्रतिवर्ष कुल कितनी ऊर्जा संरक्षित किये जाने की संभावना है; और
- (घ) इन अनुशंसाओं को कार्यान्वित करने हेतु अब तक क्या कदम उठाये गये हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी, हां। सचिवों के समूह ने ऊर्जा संरक्षण और दक्षता के माध्यम से भारत के ऊर्जा संसाधनों के प्रबंधन हेतु निम्नलिखित 11 बिन्दुओं की कार्रवाई की सिफारिश की है:-

1. सुपर एफिसिएन्ट हाऊसहोल्ड अप्लाइन्सेस डिप्लायमेंट एण्ड नॉलेज ट्रांसफोरमेशन इनिशिएटिव (शक्ति): अतिदक्ष घरेलू उपकरणों की कवरेज बढ़ाकर वर्तमान बिक्री 10% से 50% तक करना।
2. सोलर बेस्ड एफिसिएन्ट वाटर पम्प फॉर एग्रीकल्चर (सेवा): वर्ष 2019 तक वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य (एलईडी प्रकार के) व्यावसायिक मॉडल के माध्यम से 30 लाख सौर आधारित ऊर्जा दक्ष वाटर पम्प उपलब्ध करवाना।

3. ऊर्जा दक्ष (ईई) भवन एवं भवन सामग्री : कम से कम 30% निर्माणों को शामिल करने के लिए और वर्तमान सरकारी भवनों में ऊर्जा के उपयोग को 25% तक कम करने के लिए नए ऊर्जा दक्ष भवनों को प्रोत्साहन देना।
4. ऊर्जा सघन उद्योग: वर्तमान 30% से 70% औद्योगिक ऊर्जा खपत की कवरेज को प्राप्त करने के लिए निष्पादन, प्राप्ति और व्यापार कार्यक्रम का विस्तार।
5. परिवहन सड़कें : 2 स्तरों में 12-40 एमटी के रेंज में हेवी इयूटी व्हीकल (एचडीवी) के लिए ईंधन दक्षता मानदण्ड अधिदेश तथा सभी रेंजों में पुराने एच डी वी के बदले जाने को सुग्राही बनाना।
6. परिवहन सड़कें : ईंधन दक्ष ड्राइवर प्रशिक्षण कार्यक्रम
7. परिवहन, रेलवे : भाड़े में रेलवे के हिस्से में कमी को रोकना और वर्तमान 36% से 2019 तक 40% तक की वृद्धि।
8. परिवहन, तट पोत परिवहन को प्रोत्साहित करना- तट पोत परिवहन भाड़े के हिस्से को 10% तक बढ़ाना।
9. नई तकनीकों का वाणिज्यीकरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा तैयार किए गए माइक्रो सौर डोम (सूर्य ज्योति) प्रकाश व्यवस्था तकनीक द्वारा वैश्विक प्रकाश व्यवस्था पहुंच।
10. महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी का अनुसंधान एवं विकास: मिश्रण के लिए एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल (एयूएससी) थर्मल टेक्नालॉजी एवं लिगनों-सेल्यूसिक।
11. ऊर्जा संरक्षण - लोगों का आन्दोलन: ऊर्जा नवीकरण पुरस्कार, जिला स्तरीय जागरूकता तथा वास्तविक ऊर्जा दक्ष केन्द्र।

(ग) : वर्ष 2019 के अंत तक, सिफारिशों के कार्यान्वयन से 44 मिलियन टन तेल के बराबर (एमटीओई) बचत होने की संभावना है।

(घ) : ऊर्जा संरक्षण एवं दक्षता संबंधी सचिवों के समूह ने ऊर्जा संरक्षण एवं दक्षता के माध्यम से भारत के ऊर्जा संसाधनों के प्रबंधन के लिए 11 सूत्रीय कार्य योजना की सिफारिश की है। इस कार्य योजना में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों जैसे कि विद्युत मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, रेल मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, शहरी विकास मंत्रालय तथा पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा कार्रवाई की अपेक्षा की गई है। संबंधित मंत्रालय/विभाग उनके द्वारा कार्रवाई योग्य सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए संबंधित मंत्रालय/विभाग उनके द्वारा कार्य योजनाएं तैयार करता है। इन कार्य योजनाओं की हिस्सेदारी नीति आयोग के साथ की गई है और इस पर की गई कार्रवाई की समीक्षा संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ नीति आयोग द्वारा भी की गई थी। नीति आयोग कार्य योजना के कार्यान्वयन की मानीटरिंग कर रहा है और संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा की गई प्रगति की निगरानी भी कर रहा है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3674

जिसका उत्तर 23 मार्च, 2017 को दिया जाना है ।

यूपी में विद्युत परियोजनाएं

3674. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जा रहे विद्युत केन्द्रों का ब्यौरा क्या है; और
- (ख) इन विद्युत केन्द्रों की स्थापना हेतु केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा किये गये व्यय का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन विद्युत स्टेशनों और उन पर किए जा रहे व्यय का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 23.03.2017 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 3674 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

क्रम सं.	परियोजना का नाम	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	व्यय (रुपए करोड़ में)
क. ताप विद्युत परियोजनाएं				
केंद्रीय क्षेत्र				
1	ऊंचाहार-IV	यू-6	500	1589.00
2	मेजा एसटीपीपी	यू-1	660	5686.20
		यू-2	660	
3	घाटमपुर टीपीपी	यू-1	660	184.84
		यू-2	660	
		यू-3	660	
4	टांडा टीपीपी	यू-1	660	1718.00
		यू-2	660	
राज्य क्षेत्र				
1	हरदुआगंज टीपीएस एक्सपें.-II	यू-1	660	203.90
2	जवाहरपुर एसटीपीपी	यू-1	660	7.00
		यू-2	660	
3	ओबरा-सी टीपीपी	यू-1	660	8.50
		यू-2	660	
ख. जल विद्युत परियोजना				
शून्य				
